राजस्थान सरकार
निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रारूप
(भाग–1)

(i) .....

.....के लिए निविदा।

(ii) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक व पता।

(iii) किसको सम्बोधित की गयीः

(iv) संदर्भ :

(v) निविदा शुल्क की राशि रूपये 100/–नकद रसीद संख्या.....एवं दिनांक द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या.....के द्वारा जमा करा दी गयी हैं।

(vi) हम.....द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या..... .....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उललेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षरकर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना कीअतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

(vii) मदो के प्रदाय के लिए वित्तीय बिड के रूप में अलग लिफाफे मे दी जावेगी।

(viii) फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

(ix) उपर उद्यत की गयी दरें 3 माह तक के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

(x) बयाना राशि के पेटे बैक ड्राप्ट/बैंकर्स चेक संख्या.....जो (बैक का नाम)पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या..... /चालान संख्या और दिनांक .....रूप्ये .....संलग्न है।

(xi) इसके साथ बिक्रकी कर पंजीयन एंव बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।

(xii) विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न है।

संलग्नः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

एस.आर. 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम/घोषणा करता हॅ/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिग/विपणन एजेण्ट हूॅ/है।

यदि यह घोषण असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

–: खुली निविदा के लिए निविदा एवं सविदा की शर्तें :–

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाए भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों मे है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड़ है। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बड को अलग–अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाए सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने कि तिथी एवं समय तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। कृपया ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि वित्तीय दरे आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती है तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

शर्त संख्या 1 (अ)

निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राईटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :–

1. पूरी धरोहर राशि (Equment Money) की प्राप्ति ।
2. हस्ताक्षरित निविदा शर्तें
3. प्रारूप एस.आर. 11 में घोषण प्रमाण–पत्र (निविदाओं द्वारा घोषणा)।
4. बिक्रीकर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण–पत्र।
5. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी स्थाई प्रमाण–पत्र एवं पी.पी.सी. निर्धारित प्रपत्र में। (प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)
6. सैम्पल (दो सैट में)

इस क्राईटेरिया के आधार पर जिन निविदाकारों को योग्य माना जावेगा, केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी जिसके समय एवं तिथी से बाद में ऐसे योग्य निविदाकारों को सूचित किया जायेगा।

2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
3. **''वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँः–** निविदाएँ मालो के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषण प्रस्तुत करेगें।
4. **(i)** फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबध में लिखित नामा प्रस्तुत नही कर देतें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. **बिक्री कर पंजीय एवं चूकती प्रमाण–पत्र :–** कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसक बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
6. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लधुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।
8. दरें गतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारों को शमिल करना चाहिए किन्तु चुगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते हैं, इसलिए उन पर चुंगी का भुगतान नही किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिये या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाण–पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
9. (i) **दरों की तुलनाः**– राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

   (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करतें समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
10. **मूल्य अधिमान :–** (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार दिया जाएगा)
11. **विधिमान्यता :–** निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

14. **विनिर्देश :–**

(i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुए निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहॉ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तार चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या 1 से 39 पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहॉ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहॉ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रता अधिकारी/ क्रेता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों,यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

(iii) वारंटी/गारंटी खण्ड :– निविदादाता यह गांरटी देगा कि माल/सामान/ वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 15 दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 15 दिनों/माहों कि उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालो/सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगें। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लधंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों और उपकरणों के मामलें में भी उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारण्टी दी जाएगी तथा निविदादाता गांरटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रृटि आदि के करण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता से निंबंधनों और ार्तों पर जा उनके बीच स्वीकार की जाए, वा िक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशि ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी , चाहे वा िक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

15. **निरीक्षण :–**

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालो/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उसे प्रंयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ठ हुए है, अपने बैकर्स से एक परिचय– पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16. **नमूनें** :– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूनें प्रस्तुत किए जायेगें । ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किय जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जावेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी. आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों मे नमूनें प्लास्टिक बॉक्स/पौलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

17. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएगे।

18. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रंतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट–फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते है तो उन्हें सरकार द्वारा समाहत् कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जॉच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट–फुट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूनें वापस नहीं लिए जायेगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. प्रदाया जब भी प्राप्त यिा जाएगा उनाक निरीक्षण या सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली

एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

21. **नमूने निकालना** :– परीक्षणों के मामलें में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएगों तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट सदंर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

22. **परीक्षण प्रभार :–** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएगें। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाया किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

23. **रद्द करना :–**

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुंए अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उनहे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणें से जो अभिलिखित किए जाएंगे। अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौति अन्तिम होगी।

24. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तााि उसे निविदादात की जोखिम एवं उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

25. निविदादाता उचित पैकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपूर्दगी अच्छी दश में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट–फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामलें में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

26. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणो को अभिलिखित करेगा।

27. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

28. **(i) सुपुर्दगी अवधि** :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :–

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(ii) **मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना** :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेगें परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होगे तथा ऐसे आदेश देने कि अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

29. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :–** (क) निविदा के साथ 90,000/– रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर) के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप से भी जमा करायी जानी चाहिए :–

(i) नकद – शीर्ष '' 8443 – सिविल निक्षेप – 103 प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैक का ड्राफ्ट/ बैंकर चैक।

(ख) **बयाना राशि का प्रतिदाय** :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूट** :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग भवन, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का (विलोपित) निविदाये आमंत्रित करने की सूचना मे दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ड) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि,

यदि निविदाओं के पूर्ण आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

30. **बयाना राशि का समपहरण** :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा :–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : (प) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार 1000/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाए स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशन के बराबर प्रतिभूत जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी (विलोपित)

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि कि रूप में निम्न प्रकार होगे :'

(क) नगद/बैंक ड्रॉफ्ट/बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगां

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वल्यू) पर स्वीकार किया जाएगां

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ठ हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

2. (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्म्रों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण–पत्र मूल रूप में या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें

3. **प्रतिभूति निक्षेप का सपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहत किया जा सकेगा :–

निविदादाता के हस्ताक्षर

(क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंधन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबधं में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो तो प्रदायकत्र के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत कि दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. केवल बैक के माध्य से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भूगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

33. **बीमा :–** (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएगे। यदि प्रदायकार्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन एवं नुकसान द्वारा या आग, बाढ मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे – युद्ध, विद्रोह, दंगों आदि) द्वारा हानि से बचान के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34. **भुगतान**

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय ाक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

(iii) विवदादास्पद मदों मे सबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(ii) परिसमापित नुकसानी :–परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वूसली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने मे असफल रहा है :–

1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5% देय होगा।

   (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5% देय होगा।

   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5% देय होगा।

   (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10% देय होगा। ।

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

36. **वसूलिया :–** परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से कि जाएगी। प्रदायकर्ता नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फुट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदयकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

37. निविदादाताओ को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी चाहिए।

38. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है तो इससे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुाओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकार्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाण्ति प्रति ।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पत्रा, टेलिफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामल में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

41. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आबिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप– अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं हेागा तथ उसका निर्णय अन्तिम होगा।

42. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि सस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

मैं./हमने उपरोक्त निविदा शर्तो एवं शरायतों को पढ़ लिया है एवं मैं./हम सहमत हैं।

(I / We have read the above terms and conditions and I/We agree to abide by the same).

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.( )मले./स्टोर/2009/ दिनांकः–

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

राज्य के जिलो के अति संवेदनशील क्षेत्रों में छिड़काव करने के लिए अल्फासाईपरमेथ्रीन 5% क्रय किया जाना है। अतः मूल निर्माताओं से मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	वस्तु का नाम	स्पेसिफिकेशन	मात्रा	अनुमानित मूल्य	ई.एम.डी. राशि
1.	अल्फासाईपरमेथ्रीन 5%	Synthetic Pyrethroids Water Dispersible Powder or Wattable Powder equivalent 2.5% conforming to following WHO specifications	50 MT	45,00000/-	90,000/-

निविदा फार्म बिक्री प्रारम्भ करने की तिथि :–	13.02.09	दोपहर 12.30 बजे से
निविदा फार्म बिक्री की अन्तिम तिथि :–	17.02.09	दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि :–	17.02.09	अपरान्ह् 2.30 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की तिथि :–	17.02.09	अपरान्ह् 2.30 बजे

निविदा का विस्तृत विवरण जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान सरकार की वेब साईट– **www.dipronline.org.** या **www.rajswasthya.nic.in** पर एवं कमरा नं. 319, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर में भी देखा जा सकता है।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

निविदा के सामान्य अनुदेश

1. निविदायें निर्धारित निविदा फार्म में निविदा फार्म मय वांछित दस्तावेज के विभागीय प्रक्रिया एवं निविदा शर्तों के अनुसार अलग–अलग लिफाफों (कवर–ए, तकनीकी बिड एवं कवर–बी, वित्तीय बिड) में होना तथा उक्त दोनों सील्ड लिफाफों को एक लिफाफे में सील्ड कर तथा लिफाफे पर **"अल्फासाईपरमेथ्रीन 5%"** निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक है। निविदा फार्म एवं निविदा शर्ते जो अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को रू. 100/– (अक्षरे रूपये एक सौ मात्र) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) द्वारा भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही निविदा प्रपत्र जन सम्पर्क निदेशालय, राज., सरकार की वेब साईट– www.dipronline.org. से भी डाउन लोड किये जा सकते है तथा निविदा प्रपत्र की कीमत रू. 100/– बैंक ड्राफ्ट द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय अलग से अमानत राशि के साथ जमा कराई जा सकती है।

2. निविदा प्रपत्र प्राप्ति के आवेदन पत्र के साथ नवीनीकृत उत्पादन लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति एवं सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र जारी किया जा सकेगा।

3. निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

ALPHACYPERMETHRIN WDP 5%

PART – A TECHNICAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked ***"Technical/Financial Bid for Alphacypermethrin WDP 5%"*** and submitted as per schedule given below :-

1	Tender No.			
2	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Rajasthan, Jaipur.		
3	Telephone	0141-2229858		
4	Telephone-Cum-Fax	0141-2224831		
5	E-mail			
		Date	Time	Place
6	A. Tender from can be obtained upto B. Tender from can be submitted upto	13.02.09 17.02.09	12.30 PM 2.30 PM	DM&HS, Raj. Jaipur Room no. 321
7	Opening of Tender for :-			
	A. Technical Bids	17.02.09	2.30 PM	- do -
	B. Financial Bids	20.02.09	2.30 PM	- do -

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

_____

Date :

Signature of Issuing Authority

Signature of Tenderer

ALPHACYPERMETHRIN WDP 5%

PART – B FINANCIAL BID

Two Bids in separate sealed envelops for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked ***"Technical/Financial Bid for Alphacypermethrin WDP 5%"*** and submitted as per schedule given below :-

1	Tender No.			
2	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Rajasthan, Jaipur.		
3	Telephone	0141-2229858		
4	Telephone-Cum-Fax	0141-2224831		
5	E-mail			
		Date	Time	Place
6	A. Tender from can be obtained upto B. Tender from can be submitted upto	13.02.09 17.02.09	12.30 PM 2.30 PM	DM&HS, Raj. Jaipur Room no. 321
7	Opening of Tender for :-			
	A. Technical Bids	17.02.09	2.30 PM	- do -
	B. Financial Bids	20.02.09	2.30 PM	- do -

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened of only those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Signature of
Issuing Authority

Date :

Signature of Tenderer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
TENDER FORM FOR TECHNICAL BID

Tender for purchase of ALPHACYPERMETHRIN WDP 5%

1. Name & Postal address of the firm submitting the tender	**M/s** ________________________________ ________________________________
2. Telephone Numbers	________________________________
a) Registered Office	________________________________ ________________________________
b) Head Office	________________________________ ________________________________
c) Jaipur Office	________________________________ ________________________________ ________________________________
d) Local Service centre	________________________________ ________________________________
e) Other	________________________________
3. Address to	**Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur**
4. Reference	Tender No. 1/2008-2009

5. The tender fee amounting to Rs. 100/- has been deposited vide cash receipt/ crossed postal order/Demand Draft Number____________ dated _______ payable to Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number 1/2008-2009 issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

7. Goods will be delivered within a period of One month from the date of the receipt of firm order.

8. Details of earnest money is as under:-

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Earnest money	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1.	Alphacypermethrin WDP 5%	45,00000/-	90,000/-		

9. Sales Tax Registration Number and Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

10. Authorization of manufacturer etc. is also enclosed.

11. All conditions mentioned on Price schedule are accepted.

12. Two sets of samples are accompanied for articles marked within the schedule.

13. Previous supply/performance of the tenderer with the name of the deptt.

14. Supply capacity.

Signature of Tenderer

Encl.: Terms & Conditions

Special Terms and Conditions

- Manufacturer should be doing Production of Alphacypermethrin 5% equivalent to Synthetic Pyrethroids (WDP) 2.5% from last three years. Bidder should submit documentary evidence.
- Bidder should have financial capacity to complete the required quantity in on month. Bidder should submit balance sheet and profit & loss account of last three years.
- Manufacturer should have registration for the quoted item from Central Insecticide Board of India. Manufacturer should submit manufacturing license. Product should be approved from WHO.
- Manufacturer should have supplied 50 MT or more quantity in any one of the last three years to any Govt./Semi. Govt. Institution.
- Manufacturer should have production capacity to execute the order of required quantity in 30 days.
- Priority will be given to ISI mark holder or applied for registrations with documentary evidence.
- Bidder should submit sample & test report along with tender.
- Batch wise Test reports has to be submitted duly tested by field testing units GOI of the samples drawn randomly by nominated officer by this directorate before dispatch.

Packing & Marking:-

i. Packing shall be as per WHO specifications in drums of 20/25 kg. capacity.
ii. Material shall retain its characteristics for a period of 2 years from the date of manufacturing and stores should not be offered for inspection or dispatched more than four months after manufacturing date.
iii. Marking : Marking should be as per WHO specification and the containers shall bear following information legibly and indelibly in addition to the information required under Insecticide Act, 1968 and rules framed there under:-

a) Govt. of Rajasthan supply – Not for sale
b) Name of the material
c) Name of the manufacturer
d) Date of Manufacturer & date of expiry
e) Batch No.
f) Net mass of contents
g) Nominal pesticide content percentage
h) Contract No. and date
i) Minimum caution notices as per the Act.

Documents:-

Documents related to Technical and Financial information should be placed in different envelopes under seal.